सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–**cm-384**
31/08/2017

मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की

पटना, 31 अगस्त 2017 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक की। समीक्षा बैठक में संबंधित विभाग के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की गयी। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

समीक्षा बैठक के उपरांत मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि आज दो विभागों की समीक्षा की गयी। उन्होंने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की गयी। उन्होंने बताया कि बिहार में भू–सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। भूमि का हवाई सर्वेक्षण कराया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य का कैडस्ट्रल सर्वे एवं रिविजनल सर्वे से संबंधित सभी राजस्व नक्शा को डिजिटाइज्ड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि भू–अर्जन से संबंधित राशि के ससमय भुगतान की व्यवस्था विभाग के द्वारा की गयी है। उन्होंने कहा कि राशि को खाते में निकालकर रखी जाने वाली परंपरा को समाप्त की जायेगी। साथ ही भू–अर्जन में किसान जिनका जमीन है, उन्हें आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से राशि दी जायेगी। मुख्य सचिव ने बताया कि अतिक्रमण के संबंध में निर्णय लिया गया कि पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन एवं नगर निकायों के दायित्वों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जायेगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग की बैठक के संदर्भ में मुख्य सचिव ने कहा कि पटना का मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है, उसी तरह से बाकी शहरों के लिये भी मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इससे नक्शा पास करने तथा उसे रेगुलेट करने में सहुलियत होगी। पटना मेट्रो के संबंध में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा नई मेट्रो नीति बनाया गया है, उसी के आधार पर राज्य सरकार अपने प्रस्ताव में सुधार कर केन्द्र सरकार को भेजेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में शवदाह गृहों के संबंध में निर्देश दिया गया कि सभी जगह विद्युत शवदाह गृह के साथ–साथ आवश्यतानुसार पारंपरिक (लकड़ी का) तरीके से शव जलाने की व्यवस्था हेतु छोटे–छोटे चबूतरे (शेड) का निर्माण कराया जाय। कचड़ा प्रबंधन के संबंध में मुख्य सचिव ने बताया कि कचड़ा प्रबंधन के लिये दो मॉडल मुजफ्फरपुर मॉडल एवं सिलाव मॉडल बनाये गये हैं। सिलाव मॉडल छोटे स्तर पर कचड़ा प्रबंधन के लिये है, जिसमें हर दुकानदार को दो प्लास्टिक की बाल्टी दी जाती है, जिसमें वो सुखा एवं गीला कचड़ा अलग–अलग रखते हैं। मुख्य सचिव ने बताया कि शहर के नाली के पानी को ट्रिटमेंट करने के बाद उसका उपयोग अब खेती के लिये किया जायेगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार में तीन शहरों यथा– भागलपुर, पटना एवं मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल किया गया है। साथ ही बिहारशरीफ भी इस सूची में शामिल होने के कगार पर है। मुख्य सचिव ने बताया कि शहरों

के मुहल्लों के अंदर की बड़ी सड़कें जो दो–तीन वार्ड से गुजरती है, वैसी सड़कों की मरम्मति/निर्माण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि वैसे सड़कों को अब विधायक एवं सांसद निधि के तहत लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सिवरेज, ड्रेनेज एवं जलापूर्ति योजनाओं में किसी भी सड़क पर ढ़ाई सौ मीटर से आगे कार्य करने के पूर्व कटे हुये रोड का पूर्ण रेस्टोरेशन को अनिवार्य बनाने के लिये दिशा–निर्देश निर्गत करने पर सहमति दी गयी।

समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, संबंधित विभागों के मंत्री– राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री रामनारायण मण्डल/नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सुरेश शर्मा, मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन श्री आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार श्री विवेक कुमार सिंह, प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास श्री चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अतीश चन्द्रा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

****